



प्रेस विज्ञप्ति

20/01/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने **सौरभ शर्मा और अन्य** के मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल और ग्वालियर जिलों और पुणे (महाराष्ट्र) में स्थित विभिन्न परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17.01.2025 को तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने लोकायुक्त, विशेष पुलिस स्थापना भोपाल एमपी द्वारा पीसी अधिनियम 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 13(1) (बी), 13(2) के तहत सौरभ शर्मा, सेवानिवृत्त कांस्टेबल, परिवहन विभाग, भोपाल, एमपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उक्त एफआईआर की जांच से पता चला कि सौरभ शर्मा ने अपने परिवार के सदस्यों और संबंधित फर्मों/कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की है।

तलाशी अभियान के दौरान, बैंक खातों में खाते की शेष राशि रु। 30 लाख रुपये जब्त किए गए और 12 लाख रुपये की अघोषित नकदी और 9.9 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 9.17 लाख रुपये है। तलाशी के दौरान डिजिटल डिवाइस और संपत्ति के दस्तावेजों की प्रतियां भी जब्त की गईं।

इससे पहले ईडी भोपाल द्वारा 27.12.2024 को भी इस मामले में तलाशी ली गई थी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।